

न्यायालय—सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर,  
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

आप. प्रक. क.—292/2011  
 संस्थित दिनांक—25.09.2011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—रूपझर,  
 तहसील—बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.) — — — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

1—मन्तीबाई पति फंदीलाल उईके, उम्र 28 वर्ष,  
 निवासी—नारंगी, थाना रूपझर,  
 जिला—बालाघाट (म.प्र.)  
 2—रैवंतीबाई पति जगतसिंह परते, उम्र 58 वर्ष,  
 निवासी—नारंगी, थाना रूपझर,  
 जिला—बालाघाट (म.प्र.) — — — — — आरोपीगण  
 — — — — —

// निर्णय //

(आज दिनांक—22/1/2015 को घोषित)

1. आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 325, 506 (भाग—2) के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक—21.03.2011 को समय 10:00 बजे स्थान ग्राम नारंगी दशमीबाई के खेत, थाना अंतर्गत रूपझर जिला बालाघाट में लोकस्थान या उसके समीप फरियादी दशमीबाई को अश्लील शब्दों का उच्चारण उसे व दूसरो को क्षोभ कारित कर, एक राय होकर उपहित का आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में आहत दशमीबाई को बांस की कमची तथा हाथ—मुक्को से मारपीट कर तथा जमीन पर पटककर स्वैच्छा घोर उपहति कारित किया तथा जान से खत्म करने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—21.03.2011 को समय 10:00 बजे स्थान ग्राम नारंगी दशमीबाई के खेत, थाना रूपझर अन्तर्गत फरियादी के खेत में आरोपीगण के मवेशी चने की फसल को खराब कर रहे थे, फरियादी द्वारा उसके खेत में मवेशी चराने से मना किये जाने पर

आरोपीगण ने अश्लील शब्दों का प्रयोग कर उसे बांस की कमची तथा जमीन पर पटककर, उसके छाती पर हाथ-मुक्को से मारपीट किये और जान से खत्म करने की धमकी दिये। उक्त घटना में फरियादी/आहत दशमीबाई के हाथ में सूजन आकर अंदरूनी चोटे आयी। फरियादी द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध चौकी उकवा में रिपोर्ट दर्ज करायी गई। फरियादी के उक्त रिपोर्ट पर पुलिस चौकी उकवा आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक-0/11, धारा 294, 323, 506 (भाग-2), 34 भा.द.वि. के अंतर्गत लेखबद्ध कर असल नम्बरी पर थाना रूपझर में अपराध क्र. 34/11, धारा 294, 323, 506 (भाग-2), 34 भा.द.वि. के अंतर्गत पंजीबद्ध किया किया। पुलिस ने आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया, घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया, घटना में प्रयुक्त सामग्री जप्त किया गया तथा आहत एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये। पुलिस द्वारा आरोपीगण को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

3. आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 325/34, 506 (भाग-2) के अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपीगण ने धारा-313 का द.प्र.सं. के अन्तर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया जाना प्रकट किया। आरोपीगण ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक-21.03.2011 को समय 10:00 बजे स्थान ग्राम नारंगी दशमीबाई के खेत, थाना अंतर्गत रूपझर जिला बालाघाट में लोकस्थान या उसके समीप फरियादी दशमीबाई को अश्लील शब्दों का उच्चारण उसे व दूसरो को क्षोभ कारित किया ?

2. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर एक राय होकर उपहित का आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में फरियादी/आहत दशमीबाई को बांस की कमची तथा हाथ-मुक्को से मारपीट कर तथा जमीन पर पटककर स्वैच्छया घोर उपहति कारित किया?

3. क्या आरोपीगण उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से खत्म की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया?

**विचारणीय बिन्दुओं पर सकारण निष्कर्ष :-**

5- फरियादी/आहत दशमीबाई (अ.सा.1) ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानती है। घटना पिछले फागुन माह में दिन के 10 ग्राम नारंगी में उसके खेत की है। उसके खेत में चने की फसल लगी हुई थी। उसके खेत में फंदीलाल का बैल आ गया था तो उसे निकाल रही थी, उसी समय आरोपीगण मंतीबाई और रैवंतीबाई तथा उनके साथ अन्य दो लोग आये। आरोपी मंतीबाई ने उसे बांस की कमची से पीठ में मार दिया था और आरोपी रैवंतीबाई ने उसके हाथ मोड़ दी थी। आरोपी मंतीबाई ने उसे वैश्या और चरकट रंडी कह रही थी, जो उसे सुनने में बहुत बुरी लगी। उसने उक्त घटना की रिपोर्ट चौकी उकवा में की थी। वह हस्ताक्षर के रूप में अंगुठा लगाती है। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बालाघाट में हुआ था। उसने पुलिस को घटना स्थल बतायी थी। पुलिस ने उसके समक्ष घटना स्थल का मौका नक्शा नहीं बनायी थी।

6- उक्त साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि पुलिस ने उसकी निशादेही पर घटनास्थल का मौका-नक्शा प्रदर्श पी-1 तैयार किया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि रिपोर्ट करते समय उसके साथ उसका लड़का गया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके लड़के ने पुलिस को घटना के बारे में बताया था। साक्षी का स्वतः कथन है कि उसने स्वयं घटना के संबंध में बताया था। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। फरियादी द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट के संबंध में प्रधान आरक्षक फूलचंद तरवरे (अ.सा.7) ने अपनी साक्ष्य में इस तथ्य की पुष्टि की है कि उसने पुलिस चौकी उकवा में पदस्थ होते हुए घटना दिनांक को ही दशमीबाई की सूचना प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-5 लेखबद्ध की थी। इस प्रकार फरियादी दशमीबाई (अ.सा.1) ने उसके द्वारा लिखाई रिपोर्ट प्रदर्श पी-5 एवं उसके पुलिस कथन के अनुरूप अपनी साक्ष्य पेश की है, जिस पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है।

7. फरियादी दशमीबाई की पुत्री हीरामन (अ.सा. 2) ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि घटना दिनांक को माँ दशमीबाई गांव में होली खेल रही थी तो उसे पता चला था कि उसकी माँ के साथ खेत में झगडा हो रहा है, तो उसने खेत जाकर देखा कि उसकी माँ दशमी को आरोपीगण मारपीट कर रही थी, उक्त मारपीट में उसकी माँ के हाथ में फ्रेक्चर हो गया था। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। इस

प्रकार साक्षी ने घटना के समय आहत दशमीबाई को आरोपीगण के द्वारा मारपीट किये जाने और उक्त मारपीट में उसकी माँ दशमीबाई के हाथ में फ्रेक्चर हो जाने के संबंध में चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में अभियोजन का समर्थन किया गया है।

8. सावित्री (अ.सा.3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानती है। प्रार्थी दशमीबाई उसकी दादी है। घटना लगभग दो वर्ष पूर्व दोपहर के लगभग दो बजे उसके खेत की है। घटना समय वह झगड़े की आवाज सुनकर घटना स्थल पर गया तो देखा कि उसकी दादी दशमीबाई को आरोपीगण लकड़ी से मारपीट कर रहे थे और जमीन पर गिरा दिये थे। घटना समय आरोपी मंतीबाई ने उसे भी एक लकड़ी मार दी थी। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-1 तैयार की थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटना स्थल से एक लकड़ी जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-2 तैयार की थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटना के संबंध में उससे पूछताछ की थी। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने उसके सामने मंतीबाई से पुलिस द्वारा बांस की कमची की जप्ती किये जाने से इंकार किया है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने घटना के समय आहत दशमीबाई को आरोपीगण के द्वारा मारपीट किये जाने के संबंध में चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में अभियोजन का समर्थन किया गया है।

9. फरियादी दशमीबाई का पुत्र मंदूलाल (अ.सा.4) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि घटना के समय वह आवाज सुनकर घटना स्थल पर गया था, उस समय सावित्रीबाई और हिरासनबाई ने झगड़ा छुड़ा लिये थे। वह दशमीबाई को उठाकर घर लाया था। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके सामने आरोपीगण ने दशमीबाई के साथ मारपीट की थी। साक्षी का स्वतः कथन है कि वह झगड़े के बाद पहुंचा था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उस समय दशमीबाई का हाथ फूल गया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने घटना के चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में अभियोजन का समर्थन नहीं किया है, किन्तु घटनास्थल पर घटना के तत्काल पश्चात् पहुंचकर देखा गया वृत्तांत समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया है।

10- डॉ.डी.सी. धुर्वे (अ.सा.6) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है



कि वह दिनांक 22.03.11 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आहत दशमीबाई को उसके समक्ष परीक्षण हेतु लाया गया। उसने आहत के दाहिने हाथ की कलाई में टेण्डरनेस व सूजन होना पाया था, तथा शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोट होना पाई थी, तथा उसे ईलाज हेतु हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास भेजा था। उसके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट प्रदर्श पी-6 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

11- डॉ.डी.के.राउत (अ.सा.8) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि उसने दिनांक 07.05.11 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर होते हुए आहत दशमी की एक्सरे प्लेट क्रमांक 1006 जो दिनांक 22.03.11 को लिया गया था, का परीक्षण करने पर उसने आहत दशमीबाई के दाहिने हाथ की हड्डी के नीचले भाग में अस्थिभंग होना पाया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-7 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। उक्त चिकित्सीय साक्षीगण के चिकित्सीय अभिमत से आहत दशमीबाई के मेडिकल परीक्षण एवं एक्सरे रिपोर्ट के आधार पर उसे दाहिने हाथ में अस्थिभंग होने के आधार पर उसे घोर उपहति कारित होने की पुष्टि होती है।

12. अनुसंधानकर्ता जगदीश गेडाम (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसने दिनांक 22.03.11 को चौकी उकवा में पदस्थ होते हुए अपराध क्रमांक 34/11 धारा 294,323,506 बी भा.द.वि की डायरी विवेचना में प्राप्त करने पर प्रार्थी व साक्षी की निशादेही पर घटनास्थल का मौका-नक्शा प्रदर्श पी-1 तैयार किया, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने प्रार्थी व सभी साक्षीगण के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया। उसने दिनांक 28.03.11 को मंतीबाई के पेश करने पर साक्षियों के समक्ष बांस की कमची जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-2 तैयार किया जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने उसी दिनांक को आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-3 व 4 तैयार किया जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने अनुसंधान के दौरान आहत दशमीबाई की एक्सरे रिपोर्ट में अस्थिभंग होने के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध धारा 325 भा. द.वि का इजाफा किया था। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से उसके कथन का कोई खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामले में की गई संपूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

13- प्रकरण में आहत दशमीबाई (अ.सा.1) एवं चक्षुदर्शी साक्षी हीरासन

(अ.सा.2), सावित्री (अ.सा.3) की साक्ष्य से यह तथ्य स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि ने आरोपीगण के द्वारा दशमीबाई को मारपीट कर उसे हाथ में अस्थिभंग कारित किया। आहत दशमीबाई को उक्त चोट घटना के समय कारित होने के संबंध में मंदूलाल अ.सा. 4 ने भी अपनी साक्ष्य में पुष्टि की है, इसके अलावा चिकित्सीय साक्षी डॉ.डी.के.राउत (अ.सा.8) ने स्पष्ट रूप से घटना के समय आहत दशमीबाई कि एक्सरे रिपोर्ट के परीक्षण में उसे दाहिने हाथ में अस्थिभंग कारित होने की पुष्टि की है। बचाव पक्ष की ओर से उक्त तथ्य का खण्डन उक्त साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण में नहीं किया है।

14. बचाव पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में आहत दशमीबाई के द्वारा घटना के समय शराब के नशे में स्वयं गिर जाने का बचाव लेकर चुनौती पेश की है, किन्तु यह तथ्य प्रकट नहीं होता है कि आहत दशमीबाई घटना के समय शराब के नशे में होकर स्वयं गिर जाने से उसे उपहति कारित हुई थी।

15- अभियोजन की ओर से मात्र फरियादी दशमीबाई (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में यह प्रकट किया है कि आरोपी मंतीबाई ने उसे गाली बकी थी, जो सुनने में बुरी लगी थी, किन्तु उक्त अश्लील शब्दों के उच्चारण किये जाने के संबंध में किसी भी चक्षुदर्शी साक्षी ने अपनी साक्ष्य में फरियादी के कथन का समर्थन नहीं किया है। यह भी उल्लेखनीय है कि घटनास्थल फरियादी व अन्य साक्षीगण ने खेत वाला स्थान होना प्रकट किया है। घटनास्थल का मौका-नक्शा के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि घटनास्थल के निकटवर्ती स्थान में आवासीय मकान न होकर दूर-दूर आवासीय मकान होना तथा आम रास्ता होना प्रकट होता है। ऐसी दशा में साक्ष्य के अभाव में यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है, कि घटना स्थल लोकस्थान या उसके समीप वाला स्थान रहा है। वैसे भी फरियादी व आरोपीगण ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति होकर उनके मध्य बोलचाल में कथित गालियों का प्रचलन होने की उपधारणा की जा सकती है, तथा ठोस साक्ष्य के अभाव में यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता कि कथित अश्लील शब्दों से फरियादी व अन्य दूसरों को क्षोभ कारित हुआ था।

16. अभियोजन की ओर से किसी भी साक्षी ने आरोपीगण के द्वारा फरियादी को कथित रूप से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये है। अन्य अभियोजन साक्षीगण ने भी कथित जान से मारने की धमकी देने के संबंध में अभियोजन का

समर्थन नहीं किया है। अतएव साक्ष्य के अभाव में यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपीगण ने फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया है।

17- प्रकरण में प्रस्तुत तथ्य व परिस्थिति से प्रकट होता है कि आरोपीगण के द्वारा घटना के समय आहत दशमीबाई को मारपीट करते समय उक्त आहत को चोट पहुंचाने का आशय विद्यमान था तथा वे इस संभावना को जानती थी कि उक्त साधन से निश्चित रूप से आहत को घोर उपहति कारित होगी। आरोपी रेवन्तीबाई के द्वारा आहत दशमीबाई के हाथ को मरोड़ दिए जाने से उसे हाथ में अस्थिभंग कारित हुई। इस प्रकार आरोपीगण के द्वारा किया गया कृत्य स्वेच्छया घोर उपहति की श्रेणी में आता है। आरोपीगण के द्वारा किया गया उक्त कृत्य आहत परदेशीदास को स्वेच्छया उपहति कारित करने की श्रेणी में आता है। उक्त आरोपीगण ने एकमत होकर आहत दशमीबाई को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में आहत दशमीबाई को मारपीट कर घोर उपहति कारित की गई, जिस अपराध हेतु दोनों आरोपीगण समान रूप से जिम्मेदार हैं।

18- बचाव पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण में ऐसा सुझाव नहीं दिया गया है कि घटना के समय आहत दशमीबाई ने आरोपीगण को गंभीर व अचानक प्रकोपन दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप आरोपीगण के द्वारा उक्त उपहति कारित की गई। अभियोजन की ओर से भी ऐसी साक्ष्य प्रकट नहीं हुई है कि आरोपीगण को घटना के समय गंभीर एवं अचानक प्रकोपन प्राप्त हुआ था, जिस कारण उसके द्वारा आहत को उक्त प्रकोपन पर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की गई। इस प्रकार आरोपीगण को धारा 335 भा0द0वि0 के उपबंध के अंतर्गत आपवादिक परिस्थिति का लाभ प्राप्त नहीं होता।

19. उपरोक्त संपूर्ण विवचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपीगण द्वारा उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में आहत दशमीबाई को मारपीट कर उसके दाहिने हाथ में अस्थिभंग कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित किया। अभियोजन ने यह तथ्य प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपीगण के द्वारा फरियादी दशमीबाई को अश्लील शब्दों का उच्चारण उसे व दूसरो को क्षोभ कारित कर, जान से खत्म करने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। अतएव आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 506 भाग-दो

के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-325/34 अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

20- आरोपीगण को मामले की परिस्थिति को देखते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपीगण को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय स्थगित किया जाता है।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट

पश्चात्-

21- आरोपीगण को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपीगण की ओर से निवेदन किया गया है कि यह उनका प्रथम अपराध है तथा उनके विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है। उसके द्वारा प्रकरण में वर्ष 2011 से विचारण का सामना किया जा रहा है तथा नियमित रूप से उपस्थित होते रहे हैं। अतएव उन्हें केवल अर्थदण्ड से दण्डित कर छोड़ा जावे।

22- मामले की परिस्थिति व अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण को केवल अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने पर न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव नहीं है। अतएव मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये प्रत्येक आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-325/34 के अपराध के अंतर्गत एक वर्ष का कठोर कारावास एवं 500/-रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। आरोपीगण के द्वारा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में प्रत्येक आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-325/34 के अपराध के अंतर्गत एक-एक माह का कठोर कारावास पृथक से भुगताया जावे।

23- आरोपीगण के जमानत व मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

24- प्रकरण के विचारण के दौरान आरोपीगण न्यायिक अभिरक्षा में नहीं रही है, जिसके संबंध में धारा-428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रथक से प्रमाण-पत्र तैयार किया जावे।

25- प्रकरण में जप्तशुदा लकड़ी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।



निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला—बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)